

प्रेस नोट दिनांक 30-05-2021

अवैध खनन करने / ओवरलोडिंग वाहनों पर चला सहारनपुर पुलिस का चाबुक, 20 वाहन सीज, 13 अभियुक्त गिरफ्तार:—

अवगत कराना हैं कि दिनांक 29 / 30-05-2021 की रात्रि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशो के अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर / ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के खनन अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्र में अवैध खनन जैसे ओवरलोडिंग, वैध प्रपत्र न होना आदि की प्रभावी रोकथाम करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। जिसके फलस्वरूप जनपद पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर चैकिंग अभियान चलाते हुये अवैध खनन से सम्बन्धित 20 वाहनों को सीज करते हुये 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। इसके साथ-साथ वाहनों के मालिक / चालको के विरुद्ध भी चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29-05-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुये बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के चालान किये गये तथा भारी मात्रा में सम्मन शुल्क वसूल किया गया। जनपद पुलिस द्वारा की गई कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैं:-

नगर क्षेत्र/देहात क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण:-

➤ बिना मास्क के चालान:-141

➤ वसूला गया सम्मन शुल्क:-36900 /-रुपये

नोट- जनपदवासियों से अपील की जाती है कि जब भी घर से निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प्रेस नोट

दिनांक 30.05.2021 थाना सरसावा, सहारनपुर

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 29/04/2021 को रात्री समय करीब – 20.00 बजे थाना सरसावा पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के दौरान चिलकाना तिराहा कस्बा सरसावा पर खनिज से भरे दो वाहन 1-वाहन ट्रक न0 HR58A-0484 का चालक आसिफ पुत्र अफसर निवासी ग्राम खडंजा अहमदपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2- वाहन ट्रक न0 HR58B- 2584 का चालक नैत्रपाल पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रायपुर डमौली थाना छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा को रोककर खनन सम्बन्धित प्रपत्रो को चैक किया गया उक्त दोनो वाहनो मे बिना वैध प्रपत्रो के मानक से अधिक चोरी का अवैध ओवर लोड खनिज भरा है। दोनो वाहन चालको को मौके पर गिरफ्तार किया गया। तथा उपरोक्त के सम्बन्ध मे दोनो वाहन चालको व वाहन स्वामी व स्क्रीनिंग प्लांट मालिक के विरुद्ध थाना सरसावा पर 1.मु0अ0सं0 168/2021 धारा 379/411 भादवि0 व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओ मे पंजिकृत चालान किया गया है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण निम्न प्रकार है।

1. चालक आसिफ पुत्र अफसर निवासी ग्राम खडंजा अहमदपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. चालक नैत्रपाल पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम रायपुर डमौली थाना छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा

बरामदगी का विवरण: -

1. वाहन ट्रक न0 HR58A-0484 मय अवैध ओवर लोड खनिज
2. वाहन ट्रक न0 HR58B- 2584 मय अवैध ओवर लोड खनिज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी के नाम:-

- 1.थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार
- 2.व0उ0नि0 श्री सुरेशपाल सिरोही
- 3.का0 339 दीपक कुमार
- 4.का0 467 जगप्रवेश

प्रेस नोट

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे के विरुद्ध चलाये गये अभियान मे जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुए व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन मे थाना मिर्जापुर पर दिनांक 29.05.2021 को श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पर उ0नि0 दीपक कुमार मय टीम के थाना हाजा क्षेत्र के बादशाहीबाग तिराहे से अभियुक्त रविन्द्र पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम ढाकी सहसपुर थाना सहसपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड को गाडी ETOS (TOYTA कम्पनी नं0 (UK 07 TB 2119 मे 135 पौव्वे शिल्पा ब्रान्ड देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु0अ0स0 122/21 धारा 60/72 एक्स एक्ट तथा बबलू पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम ढाकी सहसपुर थाना सहसपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड को गाडी ZEST)TATA कम्पनी नं0 (UK 16 A 9497 मे 05 पौव्वे मिस इण्डिया ब्रान्ड देशी शराब , 96 पौव्वे मेकडवल नं0 1 व 04 बोतल मेकडवल नं0 1 अंग्रेजी शराब यूपी मार्का के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु0अ0स0 123/21 धारा 60/72 एक्स एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा गया ।

माल बरामदगी –

अभियुक्तगण के कब्जे से 135 पौव्वे शिल्पा ब्रान्ड देशी शराब , 05 पौव्वे मिस इण्डिया ब्रान्ड देशी शराब , 96 पौव्वे मेकडवल नं0 1 व 04 बोतल मेकडवल नं0 1 अंग्रेजी शराब यूपी मार्का

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रविन्द्र पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम ढाकी सहसपुर थाना सहसपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड
2. बबलू पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम ढाकी सहसपुर थाना सहसपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. का0 एचसी 21 राजकुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 93 रविन्द्र गिरी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. का0 250 अखिलेश कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध चलाये गये अभियान में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में थाना मिर्जापुर पर दिनांक 30.05.2021 को श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पर 30नि0 सुशील कुमार मय पुलिस टीम द्वारा भूडूडी तिराहा रायपुर से समय करीब 10.00 बजे अवैध खनन से भरे हुए ट्रक अभियुक्त. जुल्फकार पुत्र सईद निवासी ग्राम बंदरजुड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु0अ0स0 क्रमशः मु0अ0स0 124/21 धारा 379/411 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 बनाम .1जुल्फकार पुत्र सईद निवासी ग्राम बंदरजुड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड चालक) 2. ईशानी एन्टरप्राइजेज पता 5 हरिद्वार) बाई पास रोड निकट आईएसबीटी देहरादून वाहन स्वामी) 3. अनादित्य स्टोन क्रेशर)पंजीकृत किया गया।

माल बरामदगी –

अभियुक्तगण के कब्जे से UK 07 CB 8887 व 16 टायरा डम्पर में ओवरलोड अबैध खनन सामग्री से भरी हुई

गिरफ्तार अभियुक्त-

जुल्फकार पुत्र सईद निवासी ग्राम बंदरजुड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0

1. 30नि0 सुशील कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. एचसी 134 मुनेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का0 2346 शशिकान्त थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 30.05.2021

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा नगदी/मोबाइल लूट का किया खुलासा, घटना को अंजाम देने वाले 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये मोबाइल फोन, नगदी व घटना में प्रयुक्त की गई मोटर साईकिल एवं अवैध असलहा बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.05.2021 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र धनीराम निवासी सददा माजरा थाना गागलहेडी सहारनपुर हालपता:- अशोक का भट्टा ग्राम ठसका थाना नानौता, सहारनपुर द्वारा थाना नानौता पर लिखित सूचना दी गयी कि डिस्कवर मो0सा0 सवार 03 अज्ञात बदमाशो द्वारा तमंचा दिखाकर उसके दो मोबाईल फोन (एक सैमसंग गैलक्सी ए-30 व दूसरा सैमसंग का छोटा फोन) व 1900 रुपये लूट लिये। जिस पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 160/2021 धारा 392 भादवि बनाम डिस्कवर मो0सा0 सवार 03 बदमाश पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी एवं लूटे गये मोबाईल फोन व रुपयो की बरामदगी हेतु थाना नानौता पुलिस को निर्देशित किया गया।

उक्त क्रम में आज दिनांक 30.05.2021 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर ही थाना नानौता पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भोजपुर नहर पुल से चन्देना माल की तरफ से उक्त घटना में प्रकाश में आये अभि0गण 1. हर्ष पुत्र वीर सिंह नि0 ग्राम भन्हेडा खेमचन्द थाना नानौता सहारनपुर, 2. शिवम पुत्र सुभाष नि0 ग्राम चन्देना माल थाना थाना भवन जनपद शामली व 3. प्रशांत पुत्र रामभूल निवासी ग्राम चन्देना माल थाना थाना भवन जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त हर्ष के कब्जे से लूटे गये 1200 रुपये, 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, अभियुक्त शिवम के कब्जे से लूटा गया मोबाईल फोन सैमसंग ए-30 व 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व अभियुक्त प्रशान्त के कब्जे से लूटा गया सैमसंग का छोटा मोबाईल रंग काला व लूटे गये 700 रुपये तथा लूट मे शामिल डिस्कवर 150 मो0सा0 जिसका नं0 एचआर 02 एक्स 7067 बरामद किये गये है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. हर्ष पुत्र वीर सिंह नि0 ग्राम भन्हेडा खेमचन्द थाना नानौता सहारनपुर,
2. शिवम पुत्र सुभाष नि0 ग्राम चन्देना माल थाना थाना भवन जनपद शामली,
3. प्रशांत पुत्र रामभूल निवासी ग्राम चन्देना माल थाना थाना भवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण :-

1. लूटा गया 01 अदद मोबाईल फोन सैमसंग ए-30 ,
2. लूटा गया 01 अदद मोबाईल फोन सैमसंग छोटा रंग काला ,
3. लूटे गये 1900 रुपये ,
4. लूट मे शामिल एक अदद मोटर साईकिल डिस्कवर रंग काला (लाल पट्टी) नं0 एचआर 02 एक्स 7067 ,
5. 02 अदद तमंचे .315 बोर मय 02 अदद कारतूस जिंदा .315 बोर ।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण हर्ष, शिवम व प्रशान्त द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 29.05.2021 को हमने एक मोटर साईकिल सवार व्यक्ति से तमंचा दिखाकर दो मोबाईल फोन और 1900 रुपये की लूट की थी। जिसके बाद हमने अपना- अपना हिस्सा बांट लिया था। अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि लूट करने के दौरान प्रशान्त मोटर साईकिल चला रहा था तथा शिवम व हर्ष पीछे बैठे थे। हर्ष के हिस्से मे 1200 रुपये आये थे शिवम के हिस्से मे लूटा गया सैमसंग का बडा मोबाईल आया था तथा प्रशान्त के हिस्से मे लूटा गया सैमसंग का छोटा मोबाईल फोन व 700 रुपये आये थे। जो आपने हमसे बरामद किये है। आज हम लूट करने के उद्देश्य से पटरी पर खडे थे कि पुलिस द्वारा पकडे गये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1. थानाध्यक्ष श्री सोवीर नागर, थाना नानौता, सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री शीतल कुमार शर्मा, थाना नानौता, सहारनपुर।
3. है0का0 82 संजीव कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।
4. है0का0 592 विजय कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।
5. है0का0 462 दिनेश सरोहा, थाना नानौता, सहारनपुर।
6. है0का0 556 नरेश कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।
7. हो0गार्ड 2077 सतीश कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।



प्रेस नोट दिनांक 30.05.2021 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री भानुप्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.5.2021 को मु0अ0सं0 241/21 धारा 60(2) उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधि थाना गंगोह जिला सहारनपुर में गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. ईसम सिंह पुत्र बूलचन्द निवासी ग्राम सांतौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर, 2. केवल पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम सांतौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को मय 20 लीटर अवैध शराब खाम व शराब खाम बनाने के उपकरण (भट्टी) के साथ देवेन्द्र पुत्र गोविन्द के खाली पडा खेत ग्राम सांतौर थाना गंगोह जिला सहारनपुर से दिनांक 29.05.2021 को समय 22.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. ईसम सिंह पुत्र बूलचन्द निवासी ग्राम सांतौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर,
2. केवल पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम सांतौर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

1. 20 लीटर अवैध शराब खाम व शराबखाम बनाने के उपकरण (भट्टी),

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रोहताश सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री साजिद अली, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 1128 अजय कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 1350 मोहित, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 947 शान्तनु, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. का0 1549 रोहित खोखर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 30-05-2021

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बादशाहीबाग तिराहा से अभि० 1-रविन्द्र पुत्र स्व० श्री धर्मसिंह व 2-बबलू पुत्र स्व० श्री सुन्दरलाल निवासी ढाहकी थाना सहसपुर देहरादून को 96 पक्के व 04 बोटल अंग्रेजी शराब यूपी मार्का व 140 पक्के देशी शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 122,123/21 धारा 60/72 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम बालू खेडी थाना गंगोह से अभि० काला उर्फ दीपक पुत्र जगनन्दन निवासी ग्राम बालू खेडी थाना गंगोह, सहारनपुर को 30 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 240/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मंगलौर चौकी के पास से अभि० आरिफ पुत्र फराकत निवासी मौ० फौलादपुरा थाना देवबन्द, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 316/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा गौकशी करते 02 अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस व चाकू सहित गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा विश्वकर्मा चौक के पास से अभि० 1-आजाद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम चितरौदा थाना भगवानपुर, हरिद्वार व 2-दानिश पुत्र सौकत निवासी ग्राम भंवर थाना भगवानपुर, हरिद्वार को 03 जिन्दा गाय व 01 बछडा जिन्दा एवं 01 अदद तमंचा मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कार० .12 बोर व 01 अदद चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 199/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मु०अ०सं० 200/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 201/21 धारा 3/5क/5ख/8 गोवध अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा नकुड रोड सरसावा से अभि० विक्की पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम जुडडी थाना नकुड, सहारनपुर को 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कार० .12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 166/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मथाना कलालटी रोड से अभि० 1-सचिन पुत्र हुकम सिंह व 2-धर्मवीर पुत्र हरफूल निवासी पाली थाना गागलहेडी, सहारनपुर को 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 255,256/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा जंगल ग्राम नया गांव से अभि० शीशपाल पुत्र मामराज निवासी नया गांव थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर को 10 लीटर शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण मय 100 लीटर लहन सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु०अ०सं० 166/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा सलेमपुर महाडी से अभि० इमरान पुत्र बजीरा निवासी मौ० पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर को 10 लीटर देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु०अ०सं० 167/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नारायणपुर गेट के पास से अभि० अरशद पुत्र तालिव निवासी ग्राम देधगढ थाना चिलकाना, सहारनपुर को 12 लीटर माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 147/21 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हरियाबांस पुल के पास से अभि० राकेश पुत्र चतरु निवासी हरोडा थाना गागलहेडी, सहारनपुर को 16 पक्के देशी शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु०अ०सं० 132/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 29-05-2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दिल्ली रोड पर महादेव कालोनी के मोड पर से अभि० दिलशाद पुत्र सगीर अहमद निवासी वेद विहार कालोनी थाना सदर बाजार, सहारनपुर को 20 पक्के कंजी रोमियो अरुणाचल प्रदेश मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 238/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।